रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082026-275231
CG-DL-E-05082026-275231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4159] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2026/श्रावण 14, 1948
No. 4159] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2026/SHRAVAN 14, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सं. 27/2026-27

विषय: एफटीपी के तहत इंवेंट्री-आधारित सीमा-पार ई-कॉमर्स निर्यात रूपरेखा को शुरू करने के संबंध में।

का.आ. 4335(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठितविदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

घ. इंवेंट्री-आधारित सीमा-पार ई-कॉमर्स सुविधा रूपरेखा

9.13 परिभाषाएं

इंवेंट्री-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा प्रारुप के उद्देश्योंके लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें दिया गया है:

1. **'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड (ईओआर)'** का अर्थ है एक वैध आइईसी और जीएसटीआईएन धारक इकाई, जो इंवेंट्री-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा प्रारुप के तहत डीजीएफटी के साथ पंजीकृत हो, जो कि एक या अधिक सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड से खरीदी गई वस्तुओं का भारत के बाहर स्थित खरीदारों को निर्यात और बिक्री करती है। जहां कोई ई-कॉमर्स इकाई, प्रेस नोट संख्या 3 (2026 श्रृंखला) दिनांक 23.07.2026 द्वारा संशोधित समेकित एफडीआइ नीति के पैरा 5.2.15.2.5 के तहत निर्यात संचालन करने का प्रस्ताव करती है, ऐसे संचालन इस उद्देश्य के लिए शामिल एक अलग कानूनी इकाई के माध्यम से किए जाएंगे। एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड पर निर्यातक के रूप में पंजीकरण या संशोधन के समय, ऐसी इकाई को अपनी अंशधारिता प्रतिमान और ई-कॉमर्स इकाई के साथ उसके स्वामित्व या नियंत्रण संबंध के स्वरुप की जानकारी देनी होगी।

2. **'सेलर-ऑन-रिकॉर्ड (एसओआर)'**का अर्थ है भारत में लागू वस्तु एवं सेवा कर कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत एक इकाई जो भारत में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाहर स्थित खरीदारों को निर्यात करने के उद्देश्य से, एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड के पुष्टिकृत निर्यात आर्डर के तहत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड को आपूर्ति करती है।

3. **निर्यात इंवेंट्री**का अर्थ है एक सेलर-ऑन-रिकॉर्ड से एक पुष्टिकृतनिर्यात आर्डरके तहत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा खरीदी गई वस्तुएं और निर्यात के लिए विशेष रूप से रखी गई हैं, जो एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड के रिकॉर्ड में निर्यात-निर्दिष्ट माल के रूप में नामित, रिकॉर्ड और पता लगाने योग्य हैं।

4. **'घरेलूइंवेंट्री'** का अर्थ है घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में आपूर्ति के लिए सेलर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा रखी गई वस्तुएं।

5. **'निर्यात छूट और रिफंड'(ईआरआर)** का अर्थ है माल के निर्यात पर एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा प्राप्त नकद या नकद-समान निर्यात प्रोत्साहन, छूट, रिफंड या छूट, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक, आरओडीटीईपी, आरओएससीटीएल या प्रत्यक्ष मौद्रिक या हस्तांतरणीय वित्तीय लाभ से जुड़ी कोई अन्य अधिसूचित स्कीम शामिल हैं।

   निर्यात छूट और रिफंड में अग्रिम प्राधिकार पत्र या ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जैसे गैर-हस्तांतरणीय शुल्क छूट घटक शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के तहत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड पर करों का रिफंड, एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड पात्रता के अनुसार होगा और विक्रेता-जनित निर्यात छूट और रिफंड का हिस्सा नहीं होगा।

9.14 रूपरेखा का उद्देश्य

इस प्रारुप का उद्देश्य एक इंवेंट्री मॉडल के तहत ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाना है, जिसके तहत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड निर्यात के लिए इंवेंट्रीरखता है, निर्यात से संबंधित कार्रवाई करता है, वस्तुओं का निर्यात करता है, और सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में सहायता और सक्षम बनाता है।

9.15 निर्यात इंवेंट्री के लिए पात्रता और शर्तें

i. समेकित एफडीआई नीति के तहत परिभाषित मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई के अलावा एक ई-कॉमर्स इकाई, इस ढांचे के तहत पंजीकृत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड के माध्यम से केवल निर्यात-इंवेंट्री का संचालन कर सकती है। इस एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड में विशेष रूप से ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात के लिए वस्तुओं की सूची हो सकती है और इस ढांचे और समेकित एफडीआई नीति के अधीन सभी निर्यात-संबंधित गतिविधियां कर सकती हैं, जो समय-समय पर लागू होती हैं।

ii. केवल भारतीय मूल की वस्तुएं ही इस रूपरेखा के तहत पात्र होंगी।सेलर-ऑन-रिकॉर्ड, लागू कानूनों और प्रासंगिक मूल मानदंडों के अनुसार वस्तुओं की सही उत्पत्ति सुनिश्चित करने और घोषित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

iii. अपात्र वस्तुओं की सूची समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित की जा सकती है।

iv. वस्तुओं का शीर्षक भारत के बाहर स्थित खरीदार से एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा प्राप्त एक पुष्टीकृत निर्यात आदेश के द्वारा ही सेलर-ऑन-रिकॉर्ड से एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड को हस्तांतरित होगा।बिना पुष्टीकृत निर्यात आदेशकेबनाए गए शीर्षक या इन्वेंट्री केकाल्पनिकहस्तांतरण की इस रूपरेखा के तहत अनुमति नहीं है।

9.16 निर्यात इंवेंट्री प्रबंधन और पृथक्करण

एक्सपोर्ट-ऑन-रिकॉर्ड, स्पष्ट रूप से सेलर-ऑन-रिकॉर्ड से खरीद, इंवेंट्रीकी स्थिति और निर्यात दस्तावेजीकरण के साथ लिंकेज से संबंधित रिकॉर्ड सहित सभी निर्यात इंवेंट्रीकी पहचान करने, नजर रखने और पता लगाने में सक्षम एक डिजिटल संगृह बनाए रखने के लिए और निर्यात इंवेंट्रीकी पहचान करने, पृथक्करण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। निर्यात इंवेंट्री और उपर्युक्त डिजिटल संगृह के लिए पहचान करना, पृथक्करण और रखरखाव के तौर तरीके, शैली और मानक, प्रक्रिया-पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित किए जाएंगे।

9.17 सेलर-ऑन-रिकॉर्ड कोभुगतानऔर निर्यात छूट एवं रिफंड (ईआरआर)

i. एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड, माल की स्वीकृति या मानद स्वीकृति पर तुरंत और किसी भी स्थिति में एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा माल की स्वीकृति या मानद स्वीकृति की तारीख से 7 दिनों से अधिक नहीं, सेलर-ऑन-रिकॉर्ड को भुगतान करेगा। सेलर-ऑन-रिकॉर्ड को किए जाने वाले भुगतान के लिए,भारत के बाहरके खरीदार से भुगतान प्राप्त होने, भारत के बाहर खरीदार द्वारा माल की वापसी, या सेलर-ऑन-रिकॉर्ड के नियंत्रण के बाहर किसी अन्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगा और न ही उसमें देरी की जाएगी।

ii. एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड, एफटीपी और संबंधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार निर्यात छूट और रिफंड का दावा करने का हकदार होगा।

iii. एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड,निर्यात छूट और रिफंड का विभाजनऔर भुगतान उन सेलर-ऑन-रिकॉर्ड के बीच करेगा जिनके माल निर्यात खेप का हिस्सा हैं, प्रत्येक ऐसे सेलर-ऑन-रिकॉर्ड के माल के लिए फ्री-ऑन-बोर्ड (एफओबी) मूल्य के अनुपात में, जैसा कि उस निर्यात खेप के लिए शिपिंग बिल में घोषित किया गया है।

iv. एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड,निर्यात छूट और रिफंड में से प्रशासनिक प्रभार ले सकता है। ऐसे प्रशासनिक प्रभार की कटौती के बाद शेष राशि, विक्रेता-जनित निर्यात लाभ मानी जाएगी और इसका भुगतान सेलर-ऑन-रिकॉर्ड को किया जाएगा।

v. उपर्युक्त उप-पैरा (iii) के तहत दायित्व हस्तांतरण किसी निर्यात खेप के मामले में तभी लागू होगा, जब 'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड' ने उस खेप के लिए निर्यात छूट और रिफंड का दावा किया हो।

9.18 रिवर्स लॉजिस्टिक्स और वापस भेजी गई खेपें

i. एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड को वापस की गई या अस्वीकृत खेपों के लिए सभी रिवर्स लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं का स्वामित्व और प्रबंधन करना चाहिए।

ii. एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा, चाहे सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या ईकाई के माध्यम से, किसी भी परिस्थिति में, वापस की गई या अस्वीकृत खेपों को घरेलू बाजार में बेचा या आपूर्ति नहीं की जाएगी।

iii. रिवर्स लॉजिस्टिक्स से संबंधितलागतों को एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

9.19 ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब (ईसीईएच) का उपयोग

i. एक्स्पॉर्टर-ऑन-रिकॉर्ड, इस रूपरेखा के तहत संचालन के लिए, जहां तक व्यवहार्य हो, अधिसूचित ई-कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा, जो ऐसी सुविधाओं की परिचालन तत्परता और उपलब्ध क्षमता के अधीन होगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: यह अधिसूचना इंवेंट्री-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स सुविधा की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह रूपरेखा समेकित एफडीआई नीति के अनुसार पंजीकृत 'एक्सपोर्ट-ऑन-रिकॉर्ड' के माध्यम से केवल निर्यात वाली इंवेंट्रीगतिविधियों की सुविधा देता है। यह रूपरेखा पात्रता की शर्तें संचालनीयता जिम्मेदारियां, इंवेंट्री प्रबंधन की आवश्यकताएं और अन्य संचालनीयता आवश्यकताओं का निर्धारण करती है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/23/एएम-25/पीसी-9-पार्ट-(2)]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2026

No.27/2026-27

Subject:Introduction of Inventory-based Cross-border E-Commerce Export Framework under FTP -regarding

S.O. 4335(E).— In exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2023 with immediate effect:

D. Inventory-based Cross-border E-Commerce Facilitation Framework

9.13 Definitions

For the purposes of the Inventory-based Cross-border E-Commerce Facilitation Framework, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the meanings assigned to them:

i. **'Exporter-on-Record (EOR)'** means an entity holding a valid IEC and GSTIN, registered with DGFT under the Inventory-based Cross-border E-Commerce Facilitation Framework, exporting and selling goods procured from one or more Sellers-on-Record to buyers located outside India. Where an e-commerce entity proposes to undertake export operations under Para 5.2.15.2.5 of Consolidated FDI Policy as amended vide Press Note No. 3 (2026 Series) dated 23.07.2026, such operations shall be carried out through a separate legal entity incorporated for this purpose. At the time of registration or amendment as the Exporter-on-Record, such entity shall disclose its shareholding pattern and the nature of its ownership or control relationship with the e-commerce entity.

ii. **'Seller-on-Record (SOR)'** means an entity registered in India under the applicable Goods and Services Tax law, supplying goods produced in India to the Exporter-on-Record against the Exporter-on-Record's confirmed export orders, for the purpose of export to buyers located outside India.

iii. **'Export Inventory'** means goods procured by the Exporter-on-Record from a Seller-on-Record against a confirmed export order and held exclusively for export, which are designated, recorded, and traceable in the Exporter-on-Record's records as export-designated stock.

iv. **'Domestic Inventory'** means goods held by the Seller-on-Record for supply in the Domestic Tariff Area (DTA).

v. **'Export Rebates and Refunds' (ERR)** means cash or cash-equivalent export incentives, rebates, refunds or remissions received by the Exporter-on-Record upon export of goods, including Duty Drawback, RoDTEP, RoSCTL or any other notified scheme involving direct monetary or transferable financial benefit. Export Rebates and Refunds shall not include non-transferrable duty remission instruments such as Advance Authorisation or EPCG Authorisation. Refund of taxes to Exporter-on-Record under the Central Goods and Services Tax Act, shall be an Exporter-on-Record entitlement and is not part of Seller-attributable Export Rebates and Refunds.

9.14 Objective of the Framework

The objective of this Framework is to enable e-commerce exports through an inventory model under which the Exporter-on-Record holds inventory for export, undertakes export-related processes, exports goods, and assists and enables Sellers-on-Record to access global markets.

9.15 Eligibility and Conditions for Holding of Export Inventory

i. An e-commerce entity, other than a marketplace e-commerce entity, as defined under the Consolidated FDI Policy, may undertake export-only inventory operations through an Exporter-on-Record registered under this Framework. Such Exporter-on-Record may hold inventory of goods exclusively for export through e-commerce and undertake all export-related activities, subject to this Framework and the Consolidated FDI Policy, as in force from time to time.

ii. Only goods of Indian origin shall be eligible under this Framework. The Seller-on-Record shall be responsible for ensuring and declaring the correct origin of goods in accordance with applicable laws and the relevant origin criteria.

iii. A list of ineligible goods may be notified by DGFT from time to time.

iv. Title to goods shall pass from the Seller-on-Record to the Exporter-on-Record only against a confirmed export order received by the Exporter-on-Record from a buyer located outside India. Speculative transfer of title or inventory build-up without a confirmed export order is not permitted under this Framework.

9.16 Export Inventory Management and Segregation

The Exporter-on-Record shall be responsible for distinctly identifying, segregating and maintaining Export Inventory, and for maintaining a digital repository enabling identification, tracking and traceability of all Export Inventory, including records relating to procurement from Seller-on-Record, inventory status, and linkage with export documentation. The manner, form and standards for identification, segregation and maintenance of Export Inventory, and for the digital repository referred to above, shall be as prescribed under the Handbook of Procedures.

9.17 Payment to the Seller-on-Record and Export Rebates and Refunds (ERR)

i. The Exporter-on-Record shall make payment to the Seller-on-Record promptly upon acceptance or deemed acceptance of the goods, and in any event no later than 7 days from the date of acceptance or deemed acceptance of the goods by the Exporter-on-Record. Payment to the Seller-on-Record shall not be contingent upon or delayed on account of receipt of payment from the buyer outside India, return of goods by the buyer outside India, or any other event outside the control of the Seller-on-Record.

ii. The Exporter-on-Record shall be entitled to claim Export Rebates and Refunds in accordance with provisions of the FTP and relevant notifications.

iii. The Exporter-on-Record shall apportion and disburse the Export Rebates and Refunds among the Sellers-on-Record whose goods form part of the Export Consignment, in proportion to the Free-on-Board (FOB) value attributable to the goods of each such Seller-on-Record as declared in the Shipping Bill for that Export Consignment.

iv. The Exporter-on-Record may retain an administrative charge from the Export Rebates and Refunds. The balance amount, after deduction of such administrative charge, shall constitute the Seller-attributable Export Benefits and shall be disbursed to the Seller-on-Record.

v. The pass-through obligation under sub-para (iii) above shall become operative in respect of an Export Consignment only upon the Exporter-on-Record having claimed Export Rebates and Refunds in respect of that consignment.

9.18 Reverse Logistics and Returned Consignments

i. The Exporter-on-Record shall own and manage all reverse logistics processes for returned or rejected consignments.

ii. Returned or rejected consignments shall not, under any circumstances, be sold or supplied in the domestic market by the Exporter-on-Record, whether directly or through any other person or entity.

iii. The costs associated with the reverse logistics shall be borne by the Exporter-on-Record.

9.19 Utilisation of E-Commerce Export Hubs (ECEHs)

The Exporter-on-Record shall, to the extent practicable, utilise notified E-Commerce Export Hub (ECEH) infrastructure for operations under this Framework, subject to the operational readiness and available capacity of such facilities.

Effect of this Notification: This Notification introduces an Inventory-based Cross-border E-Commerce Facilitation Framework enabling export-only inventory operations through registered Exporters-on-Record in accordance with the Consolidated FDI Policy. The Framework prescribes the eligibility conditions, operational obligations, inventory management requirements and other operational requirements.

This is issued with the approval of the Ministry of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/23/AM-25/PC-9-Part-(2)]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.08.05 23:53:28 +05'30'